भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2531
मंगलवार, 4 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का गठन

†2531. **श्री जिया उर रहमानः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ गठित की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को जीवंत, पारदर्शी और जमीनी स्तर की संधारणीय संस्था के रूप में सशक्त बनाने के लिए पैक्स स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं और सेवाओं के अभिसरण द्वारा "सरकार के समग्र" दृष्टिकोण को अपनाया है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:

(i). पैक्स का कंप्यूटरीकरण

प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को सशक्त करने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में पैक्स कंप्यूटरीकरण की केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना का शुभारंभ किया था । इस परियोजना के अधीन, कार्यशील पैक्स को एक कॉमन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी)-आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर लाया गया है और उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ लिंक किया गया है जिसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में प्रचालनात्मक दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और सुगम व्यवसाय में सुधार लाना है ।

(ii). विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण कार्यक्रम

सरकार ने पैक्स के स्तर पर कृषि अवसंरचना को सशक्त करने के लिए दिनांक 31 मई 2023 को **सहकारिता के क्षेत्र में विकेंद्रीकृत भंडारण योजना** को अनुमोदित किया है । इस योजना में भंडारगृहों,

कस्टम हाइरिंग केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों और उचित मूल्य की दुकानों सहित विकेंद्रीकृत भंडारण अवसंरचना के निर्माण की परिकल्पना, सरकार की निम्नलिखित मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से की गई है:

- कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ);
- कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई);
- कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (एसएमएएम); और
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) ।

(iii). पैक्स को बहुउद्देशीय संस्थानों के रूप में कार्य करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उनके व्यवसाय का विविधीकरण

आदर्श उपविधियां तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित की गई है जिससे पैक्स को विविधीकृत करके 25 से भी अधिक आर्थिक कार्यकलाप, जिसमें डेयरी, मात्स्यिकी, पुष्पकृषि, खाद्यान्न प्रापण, भांडागारण, उर्वरक और बीज वितरण, कस्टम हाइरिंग केंद्रों, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, उचित मूल्य की दुकानों और किसान-केंद्रित अन्य कार्यकलाप शामिल हैं, करने हेतु सक्षम बनाया गया है ।

आदर्श उपविधियां अपनाने के पश्चात्, पैक्स को निम्नलिखित कार्यकलाप करने के लिए भी सक्षम बनाया गया है:

- **कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी):** पैक्स को बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन और अन्य ई-गवर्नेंस सेवाओं सहित 300 से भी अधिक जन-केंद्रित डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया गया है ।
- **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके):** पैक्स को एक ही छत के नीचे उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि निविष्टियां प्रदान करने के लिए पीएमकेएसके के रूप में अपग्रेड किया गया है ।
- **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके):** पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधि प्रदान करने के लिए पीएमबीजेके के रूप में कार्यशील कर दिया गया है ।
- **रिटेल पेट्रोल/डीजल आउटलेट्स:** पैक्स को रिटेल आउटलेट्स के आबंटन के लिए कंबाइंड कैटेगरी-2 (सीसी-2) के अधीन प्राथमिकता प्रदान की गई है ।

(ख): विगत तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए नए पैक्स का राज्य-वार ब्योरा संलग्नक पर दिया गया है ।

संलग्नक

विगत तीन वर्षों में स्थापित नए पैक्स

क्रम सं.	राज्य	एम-पैक्स
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2	आंध्र प्रदेश	11
3	अरुणाचल प्रदेश	136
4	असम	580
5	बिहार	61
6	छत्तीसगढ़	517
7	गोवा	38
8	गुजरात	662
9	हरियाणा	40
10	हिमाचल प्रदेश	136
11	जम्मू और कश्मीर	232
12	झारखंड	45
13	कर्नाटक	265
14	केरल	0
15	लद्दाख	3
16	लक्षद्वीप	0
17	मध्य प्रदेश	680
18	महाराष्ट्र	212
19	मणिपुर	127
20	मेघालय	290
21	मिजोरम	97
22	नागालैंड	50
23	ओडिशा	1539
24	पुदुचेरी	4
25	पंजाब	153
26	राजस्थान	2003
27	सिक्किम	27
28	तमिलनाडु	27
29	तेलंगाना	0
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5
31	त्रिपुरा	294
32	उत्तर प्रदेश	1364
33	उत्तराखंड	606
34	पश्चिम बंगाल	25
कुल योग		**10,230**